



कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर फ़िलप बुक



Year of Production : 2013

समुदाय के लिए कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पिलप बुक

यह पिलप बुक विभिन्न कल्याणकारी और सामुदायिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में आसान और स्पष्ट तरीके से विवरण देता है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी योजना के मूल तथ्यों को समझने के लिए कर सकते हैं ताकि किसी भी योजना के महत्वपूर्ण जानकारियों को समुदाय के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य आदि तक पहुंचाने में आपकी सहायता करें।

इस पिलप बुक का उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को उन योजनाओं के लाभों से अवगत कराना है जो न केवल उनके सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान कर सकती हैं, बल्कि बाल श्रम की रोकथाम करने में भी उनके लिये सहायक हो सकती है। यह पुस्तिका निश्चय ही माता-पिता और समुदाय को अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करेगी।

इस संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं निम्न तरीकों से सहायता कर सकती हैं:

- परिवार की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में बदलाव लाने और बाल श्रम की रोकथाम करने।
- बच्चों पर परिवार की आय के विकल्प के रूप में निर्भरता न हो जिससे बाल श्रम को रोकने में सहायता मिलेगी।
- बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिये परिवारों की क्षमता को मजबूत बनाने।

- पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग और बच्चों को निरन्तर स्कूल भेजने के लिये परिवार की क्षमता को बढ़ावा देने।
- अत्यधिक गरीब और वंचित वर्ग को बुनियादी सेवाओं के उपयोग के लिये बढ़ावा देते हुये उन्हें सक्षम बनाने।

आपके जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का संचालन शिक्षा और आजीविका के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है।

योजनाओं को चार श्रेणियों में बांटा गया है:

- आजीविका/सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं
- शिक्षा प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएं
- स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं।

प्रत्येक पृष्ठ एक योजना के लिए निर्धारित किया गया है। योजना के लाभार्थी, प्रमुख बिन्दुओं, पात्रता शर्तों आदि के अलावा इसमें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नोडल व्यक्ति या संस्था का नाम और विवरण भी दिया गया ताकि लाभार्थी समुदाय उनसे सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकें।



आजीविका/सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक साल में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।

लाभार्थी:




- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार चाहने वाले परिवारों के वयस्क सदस्यों के साथ बी.पी.एल. परिवारों, वयस्क के सदस्यों, इंदिरा आवास आवंटियों, भूमि सुधार के लाभार्थियों को भी सम्मिलित रूप से एक साल में 100 दिन रोजगार दिया जाता है।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- ग्रामीण व्यक्तियों को सरकार द्वारा एक साल में 100 दिन का रोजगार करने पर 142 रु. प्रतिदिन दिए जाते हैं।
- पंजीकरण कराने पर प्रार्थी को फोटो लगा जॉब कार्ड दिया जाता है, इस कार्ड के द्वारा पात्र परिवार रोजगार की मांग कर सकता है। यह 5 साल के लिए वैध होगा।
- मनरेगा में काम की मांग करने पर, 15 दिन के अंदर रोजगार दिये जाने की व्यवस्था है। 15 दिनों में रोजगार न मिलने पर श्रमिक को बेरोजगार भत्ता दिया जायेगा।
- इच्छुक व्यक्ति को उसके गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और यदि यह पांच किलोमीटर के बाहर होता है तो उसके बदले में अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।
- मनरेगा के अन्तर्गत इच्छुक श्रमिकों को सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य जैसे चैकडैम निर्माण इत्यादि कार्यों में श्रम देने का प्रावधान है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम पंचायत रोजगार सेवक या कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





सार्वजनिक वितरण प्रणाली

योजना के अन्तर्गत नागरिकों को आसान/कम दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थी:




- अन्त्योदय (जिसकी सूची ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / लेखपाल तैयार करते हैं), बी.पी.एल. और सामान्य परिवार।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अति निर्धन परिवारों को अन्त्योदय योजना में शामिल करके, प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (गेहूँ 2 रु. प्रति कि.ग्रा., चावल 3 रु. प्रति कि.ग्रा.), 700 ग्राम चीनी और 3–5 ली. मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है।
- बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले) परिवारों को प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (गेहूँ 4.65 रु. प्रति कि.ग्रा., चावल 6.15 रु. प्रति कि.ग्रा.), 700 ग्राम चीनी और 3–5 ली. मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है।
- ए.पी.एल. (गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने वाले) परिवारों को प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (गेहूँ 6.60 रु. प्रति कि.ग्रा., चावल 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा.), 700 ग्राम चीनी और 3–5 ली. मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है।
- सामान्य परिवारों को केवल मिट्टी का तेल ही मिलता है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वार्ड.)

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों को, सामूहिक रूप से और स्व-रोजगार के लिये आत्मनिर्भर बनाया जाता है जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके।

लाभार्थी:

- ग्रामीण गरीब परिवार; बी.पी.एल. परिवारों की सूची के व्यक्ति और समूह

योजना के प्रमुख बिन्दु:


- इस योजना में दो प्रकार से सहायता दी जायेगी, पहली – व्यक्तिगत जिसे 'स्वरोजगारी' कहा जाता है, दूसरी – 10 से 20 व्यक्तियों का समूह जिसे 'स्वयं सहायता समूह' के नाम से जाना जाता है।
- प्रत्येक सहायतित परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर इस योग्य बनाना है कि वह प्रति माह 2,000 रुपये की आय कमा सकें।
- स्वरोजगारी महिला अथवा पुरुष में से कोई भी हो सकता है, किन्तु प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार से एक व्यक्ति इस योजना में लिया जाएगा और योजना में 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के होंगे।
- उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगारियों के कौशल का विकास करेंगे।
- छोटे उद्यमों को स्थापित करने के लिये बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये सुविधादाता स्वयं सेवी संस्थाओं से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

माँ शीतला स्वयं सहायता समूह





वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।

लाभार्थी:


- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. सूची 2002 में शामिल परिवारों के 60 वर्ष या उससे ऊपर के समस्त वृद्धजन।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- 60 वर्ष या उससे ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को राज्य सरकार द्वारा 300 रु. प्रति माह पेंशन दी जाती है।
- भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2011 से 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों को 500 रु. प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
- पेंशन का भुगतान 2 छमाही किश्तों में किया जाता है, जिसके लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों या बैंक एक्ट 1976 के अन्तर्गत संचालित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खुले खातों के माध्यम से किया जाता है।
- पेंशन योजना का लाभ लेने वाले इच्छुक व्यक्ति का नाम बी.पी.एल. 2002 सूची में समिलित होना आवश्यक है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





निराश्रित महिलाओं को सहायता योजना

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को पति की मृत्यु के बाद 30,000 रु. प्रति माह अनुदान दिया जाता है

लाभार्थी:

- बी.पी.एल. परिवार में शामिल 60 वर्ष से कम उम्र की निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग होने के बावजूद पालन-पोषण के लिए असमर्थ हैं।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- पात्र लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में किया जाता है।
- यह योजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है एवं स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है।
- पात्र महिलाओं को अनुदान की राशि जीवनपर्यन्त दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
- लाभार्थी को किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई पेंशन/अनुदान न मिल रहा हो, साथ ही पेंशन स्वीकृति के समय सबसे कम आयु की महिला को वरीयता दिए जाने की व्यवस्था है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना

योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार को 20,000 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (बी.पी.एल.) के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित परिवार।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- परिवार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (बी.पी.एल.) की सूची में चयनित हो और उसकी वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में 25,546 रु. तथा ग्रामीण क्षेत्र में 19,884 रु. हो।
- योजना के अन्तर्गत 20,000 रु. की आर्थिक सहायता राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है जिसमें से 10,000 रु. राज्य सरकार का तथा 10,000 रु. केन्द्र सरकार का अंश होता है।
- योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से 64 वर्ष तक तय की गयी है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव के ग्राम प्रधान तथा ज़िला स्तर पर समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

पंचायत मावन





शादी एवं बीमारी हेतु अनुदान

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज के लिये अनुदान दिया जाता है।

लाभार्थी:


- अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन व असहाय व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में 25,546 रु. तथा ग्रामीण क्षेत्र में 19,884 रु. हो।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को पुत्रियों की शादी के लिये 10,000 रु. की सहायता राशि दी जाती है।
- इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के परिजनों के इलाज के लिये 5,000 रु. सहायता राशि दी जाती है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव के ग्राम प्रधान तथा ज़िला स्तर पर समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





इंदिरा आवास योजना

योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नया घर बनाने के लिये 70,000 रु. और कच्चे घरों की मरम्मत के लिये 20,000 रु. की धनदाशि प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य एवं गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे, सैनिक कार्यवाही में शहीद हुये रक्षा कर्मी व अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों की विधवाएं/उन पर आश्रित व्यक्ति।
- मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- पात्र लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठकों में किया जाता है।
- आवास के निर्माण और रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी खुद लाभार्थी की होती है। ग्रामीण विकास विभाग केवल मकान का नक्शा, आकार तय करता है।
- परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवास दिया जाता है और महिला सदस्य न होने की स्थिति में पुरुष सदस्य के नाम दिया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर भी आवंटन किया जाता है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अथवा ब्लॉक कार्यालय से सम्पर्क करें। किसी भी अनियमितता या अपात्र के चयन पर मुख्य विकास अधिकारी (सी.डी.ओ.) के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

नोडल विभाग: ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना

योजना के अन्तर्गत उन बी.पी.एल. परिवारों को, जिन्हें अन्त्योदय या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार और अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवार जो किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हों।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- लाभार्थियों का चयन उप-जिलाधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा। गरीबी रेखा की सूची में नाम न होने पर परिवार योजना के लिये पात्र नहीं माना जायेगा।
- लाभार्थी परिवार की मुखिया महिला सदस्य होनी चाहिये। विशेष परिस्थितियों में जब परिवार में महिला मुखिया न हो तब पुरुष को मान्य किया जायेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार को 400 रु. प्रति माह की दर से दो छिमाही किश्तों में सहायता राशि दी जायेगी।

लाभार्थी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता होना चाहिये।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव के ग्राम प्रधान से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





शिक्षा प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएं



सर्व शिक्षा अभियान

कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने का अधिकार है।

लाभार्थी:


- 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चे।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- सर्व शिक्षा अभियान बच्चों का नामांकन, शिक्षा जारी रखने एवं सीखने के लिए लिंग संबंधी व सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने का काम करेगा। कागज पूरे न होने पर भी बच्चा किसी भी विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित नहीं किया जायेगा।
- सभी निजी स्कूलों में नामांकन की 25 प्रतिशत संख्या कमज़ोर वर्ग और वंचित समुदाय से होगी।
- अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, रख—रखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जायेगा।
- इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों को प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण की भूमिका दी गई है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम पंचायत के अन्तर्गत शिक्षा हेतु स्थायी समिति से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय





मध्याहन भोजन योजना

योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल में हर रोज पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थी:


- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चे।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय दिवसों (235 दिन) में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना।
- बच्चों को भोजन में 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित करना।
- लौह, फॉलिक एसिड, विटामिन ए इत्यादि पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व अनुपूरित करना।
- बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना और नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- गर्भी की छुट्टियों के दौरान सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की पोषण सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति करना।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम पंचायत व नगरपालिका द्वारा गठित स्थाई समिति से तथा विद्यालय प्रबंधन समिति से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय





राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

योजना के अन्तर्गत बाल श्रमिक बच्चों के सर्वेक्षण से, उनको मुक्त कराकर उनका विशेष स्कूल अर्थात् एन.सी.एल.पी. स्कूल में दाखिला करवाया जाता है।

लाभार्थी:

- बाल श्रमिक बच्चे।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उनका विशेष स्कूल अर्थात् एन.सी.एल.पी. स्कूल में दाखिला करवाया जाता है ताकि बाद में उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग्य बनाया जा सके।
- बच्चों को सफलतापूर्वक मुख्य धारा में लाने के बाद उन्हें 100 रु. मासिक वज़ीफा के रूप में दिया जाता है। यह राशि बच्चे के खाते में नियमित रूप से जमा होती है।
- बच्चों के पोषण के लिये स्कूलों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिये डॉक्टर की सुविधा भी होती है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये स्थानीय स्वयं सेवा संस्था, बाल कल्याण समिति और ग्राम पंचायत से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





कण्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना (सर्वत्र नकद हस्तांतरण योजना)

योजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने एवं कक्षा 5 तक निरंतर शिक्षा देने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- ऐसे बच्चे जो, माता या पिता अथवा माता-पिता दोनों के गम्भीर रोगग्रस्त होने, अपाहिज होने या मृत्यु होने के कारण मजदूरी करते हैं।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- उत्तर प्रदेश के बाल श्रम प्रभावित 10 चयनित ज़िलों में योजनान्तर्गत बच्चों को कक्षा में प्रवेश के समय 3,000 रु. तथा पास करने पर 5,000 रु. की सहायता राशि दी जाती है।
- बच्चों को 100 रु. प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने ग्राम प्रधान से सम्पर्क करें।

नोट: यह परियोजना चयनित ज़िलों में से केवल मुरादाबाद एवं सोनभद्र में ही संचालित की जा रही है।

नोडल विभाग: श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

पंचायत मवन





राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय योजना

योजना के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गई हैं जहां छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ ड्रेस, भोजन और आवास भी उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थी:

- अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकार, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के शिक्षा प्राप्त करने योग्य बालक/बालिका।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- शासन द्वारा 90 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्वीकृत हैं जहां छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ ड्रेस, भोजन, पाठ्य-पुस्तकों और खेलकूद की सुविधा के साथ आवास भी उपलब्ध कराया जाता है।
- विद्यालय में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, 25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के एवं 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को प्रवेश परीक्षा में मैरिट के आधार पर प्रवेश का प्रावधान है।
- इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।
- बालकों और बालिकाओं के लिये अलग-अलग विद्यालय होते हैं।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव के ग्राम प्रधान से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





करस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना

योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े लोकों में स्कूल से छूटी हुई और शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिये उच्च प्राथमिक स्तर (6 से 8 तक) की शिक्षा आवासीय व्यवस्था के साथ प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक एवं बी.पी.एल. वर्ग की स्कूल से छूटी हुई और किसी कारणवश शिक्षा से वंचित बालिकायें।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- इस योजना का संचालन सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जाता है, जिसमें 750 करस्तूरबा गांधी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।
- एक विद्यालय में एक सत्र में 100 छात्राओं के नामांकन और शिक्षा का प्रावधान है।
- छात्राओं को निःशुल्क उच्च प्राथमिक शिक्षा (6 से 8 तक) और उत्तम आवासीय व्यवस्था प्रदान की जाती है।
- छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों और ड्रेस के साथ खाना भी प्रदान किया जाता है।
- छात्राओं को छुटियों में बाहर किसी पर्यटन स्थल पर घुमाने के लिये भी ले जाया जाता है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने ग्राम के सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापक से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।





अनुसूचित जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना

योजना के अन्तर्गत छात्रों अधबीच पढ़ाई छोड़ने की दर कम करने तथा अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में आने के लिये प्रेरित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:


- अनुसूचित जाति / जनजाति के ऐसे बच्चे जो बीच में किसी कारण वश स्कूल छोड़ देते हैं या शिक्षा से बंचित रह जाते हैं।


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- छात्रवृत्ति की यह राशि कक्षा 1 से 5 तक 25 रु. प्रति माह, कक्षा 6 से 8 तक 40 रु. प्रति माह एवं कक्षा 9 व 10 में 60 रु. प्रति माह की दर से दी जाती है।
- कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि वर्ष में एक बार ग्राम शिक्षा निधि के खाते के माध्यम से दी जाती है।
- कक्षा 9 व 10 के ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 30,000 रु. तक हो, उनको छात्रवृत्ति की यह राशि बैंक में छात्र के नाम खुले खाते के माध्यम से वर्ष में एक बार एक मुश्त दी जाती है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति) योजना

योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं/उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- अनुसूचित जाति के ऐसे समस्त छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रु. से अधिक नहीं है।

योजना के प्रमुख बिन्दु:


शैक्षिक स्तर	योग्यता	नियमित छात्रों को छात्रवृत्ति	छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति
आई.टी.आई., पॉलिटैक्निक आदि	हाईस्कूल	230 रु. प्रति माह	380 रु. प्रति माह
बी.ए, बी.एस.सी. एवं बी.कॉम. आदि	इण्टरमीडिएट	300 रु. प्रति माह	570 रु. प्रति माह
स्नातक / परास्नातक स्तरीय, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट	इण्टरमीडिएट	530 रु. प्रति माह	820 रु. प्रति माह
एम.फिल-पी.एच.डी., समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम, प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेन्ट, प्रशासन, कम्प्यूटर साइंस आदि	डिग्री	550 रु. प्रति माह	1,200 रु. प्रति माह

- कॉलेज में छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गयी।
- छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति के भुगतान की राशि छात्रों के बैंक खाते से प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसके लिये प्रवेश के समय ही संस्था एवं छात्रों के मध्य अनुबन्ध कराने की व्यवस्था है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास संचालन

योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं के लिये घर से दूर शिक्षा के लिये छात्रावासों का संचालन किया जाता है।

लाभार्थी:

- अनुसूचित जाति के ऐसे समस्त छात्र जो अपने घरों से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- छात्रावासों का निर्माण समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा किया जाता है तथा संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
- छात्रावास का निर्माण निःशुल्क उपलब्ध कराई गई भूमि पर कराया जाता है।
- अब तक कुल 252 छात्रावासों का निर्माण हो चुका है और 10 निर्माणाधीन हैं।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





नेशनल मीट्रिंग कम मैरिट योजना

योजना के अन्तर्गत जो छात्र-छात्राएं कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं उनकी 12वीं तक निरन्तर शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र-छात्राएं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 1,50,000 रु. से अधिक न हो और जिन्होंने किसी भी कारण से 8 के बाद पढ़ाई छोड़ दी हो।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 500 रु. प्रति माह की दर से 6,000 रु. वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
- लाभ पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिये कक्षा 8वीं में 55 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
- योजना का निरंतर लाभ लेने के लिये लाभार्थी के लिए कक्षा 9 में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





स्वास्थ्य संबंधी योजनायें



समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

योजना के अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण और पूर्ण विकास के लिये आंगनवाड़ी केन्द्र में सेवायें प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- गर्भवती, धात्री महिलाएं तथा बच्चे (खासकर बी.पी.एल. परिवार के)


योजना के प्रमुख बिन्दु:

- बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर लाकर उन्हें शुरुआती शिक्षा प्रदान कर प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पाने के योग्य बनाया जाता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का समय से टीकाकरण और परीक्षण करवाया जाता है।
- गांव में लगे हैण्ड पम्प, सार्वजनिक कुएं, नल आदि की सफाई एवं स्वच्छता के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी देना और स्वच्छ जल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए जरूरी पौष्टिक आहार के बारे में बताना और महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं दुराचार, बाल विवाह, दहेज प्रथा के प्रति जागरूक बनाना।
- छोटे परिवार के महत्व को समझाते हुए परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों की जानकारी देना तथा परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रमों को सहयोग देना।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





जननी सुरक्षा योजना

योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये धनराशि प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बी.पी.एल. सूची में शामिल सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाएं।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- गर्भवती महिला के पंजीकरण तथा सुरक्षित प्रसव की सुविधा सभी उप-केन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/सामु.स्वा. केन्द्र एवं ज़िला अस्पताल पर 24 घण्टे उपलब्ध है। यहां जच्चा और बच्चा की पूरी देखभाल की जाती है।
- अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 1,400 रु. तथा शहरी क्षेत्र को 1,000 रु. की धनराशि प्रदान की जाती है।
- बी.पी.एल. सूची वाले परिवार की गर्भवती महिलाओं को दो बच्चों तक प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा घरेलू प्रसव कराने पर 500 रु. की धनराशि दी जाती है।
- प्रसव में सहयोग करने व गर्भवती को अस्पताल तक लाने के लिये आशा को परिवहन हेतु धनराशि प्रदान की जाती है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/ए.एन.एम. से सम्पर्क करें।

नोडल विभाग: चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन





किशोरी शक्ति योजना

योजना के अन्तर्गत किशोरियों को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाया जाता है।

लाभार्थी:

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवार सूची में शामिल परिवारों की 11 से 18 वर्ष की किशोरियां जो विद्यालय छोड़ चुकी हों।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- किशोरियों को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं के साथ अधिकारों और पोषण के प्रति तथा खून की कमी को दूर करने के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।
- गरीबी रेखा से नीचे और दुर्बल 11 से 18 वर्ष की किशोरियां जो विद्यालय छोड़ चुकी हों उनका आंगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण किया जाता है।
- प्रत्येक विकास खण्ड से 60 किशोरियों का चयन करके उन्हें 3 दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण तथा 60 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से सम्पर्क करें।

नोट: यह परियोजना चयनित ज़िलों में से केवल मुरादाबाद एवं जौनपुर में ही संचालित की जा रही है।

नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार को प्रति वर्ष 30,000 रु. तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:

- ज़िले के समस्त बी.पी.एल. परिवार (अधिकतम 5 सदस्यों का परिवार)।

योजना के प्रमुख बिन्दु:

- योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार को 30 रु. की राशि देकर स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी, जिसका पुनः 30 रु. की राशि देकर नवीनीकरण किया जा सकता है।
- पात्र परिवारों के स्मार्ट कार्ड के आधार पर योजना से जुड़े अस्पतालों में हर परिवार को 30,000 रु. तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी।

सम्पर्क करें: इस योजना का लाभ लेने के लिये नजदीकी पी.एच.सी./सी.एच.सी. एवं ज़िला स्तर पर ज़िला चिकित्सालय जाकर सम्पर्क करें।

बोट: यह परियोजना चयनित ज़िलों में से केवल जौनपुर में ही संचालित की जा रही है।

नोडल विभाग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन





**पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये
कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित
कल्याणकारी योजनाएँ**



पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितों के लिये उत्तर प्रदेश कर्मकार कल्याण बोर्ड ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है।

योजनाओं के लिये अनिवार्य पात्रता/दस्तावेज़:



- लाभार्थी श्रमिकों का “भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996” के अन्तर्गत कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- बोर्ड द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति होना अनिवार्य है।



योजना	प्रमुख बिन्दु	आवश्यक अन्य दस्तावेज
शिशु हितलाभ योजना	<p>योजना के अन्तर्गत नवजात शिशुओं के लिए उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> पुत्र होने की स्थिति में 3,000 रु. एवं पुत्री होने की स्थिति में 4,000 रु. मिलते हैं योजना का लाभ केवल दो शिशुओं के जन्म तक तथा शिशुओं की 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही मिल सकेगा 	<ol style="list-style-type: none"> प्रसव / जन्म प्रमाण पत्र। शिशु का दूसरे वर्ष में जीवित होने का प्रमाण पत्र।
मातृत्व हितलाभ योजना	<p>योजना के अन्तर्गत सभी महिला कर्मकारों को पंजीकरण के बाद दो प्रसवों के उपरांत 3,000 रु. की धनराशि एकमुश्त प्रदान की जायेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> इस योजना के लिये केवल महिला कर्मकार ही पात्र होंगी। कर्मकार का पंजीयन कम से कम 1 वर्ष पूर्व अनिवार्य है। 	<ol style="list-style-type: none"> प्रसव / जन्म प्रमाण पत्र।
दुर्घटना हितलाभ योजना	<p>योजना के अन्तर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 1,00,000 रु., स्थाई पूर्ण अपंगता/ विकलांगता के फलस्वरूप 75,000 रु. और स्थाई आंशिक अपंगता/ विकलांगता के फलस्वरूप 40,000 रु. एकमुश्त भुगतान राशि प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> भुगतान की राशि लाभार्थी के आश्रित (पति/पत्नि, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क पुत्रों व मृतक श्रमिक पर निर्भर माता/पिता) को प्रदान की जाती है। 	<ol style="list-style-type: none"> विकलांगता प्रमाण पत्र। दुर्घटना के संबंध में थाने में दर्ज रिपोर्ट, श्रम कार्यालय अथवा ज़िला प्रशासन को दी गयी सूचना तथा उपचार करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा थाने में दर्ज रिपोर्ट।
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	योजना के अन्तर्गत पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 5 एवं आगे की कक्षाओं में एक निश्चित प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया जाता है और उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।	<ol style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ न लेने का प्रमाण पत्र। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से अभिप्राणित फोटोयुक्त आवेदन पत्र, सम्बन्धित कक्षा की उत्तीर्ण मार्कशीट। पुत्र या पुत्री के आगे की पढ़ाई जारी रहने का प्रमाण पत्र, प्रधानाचार्य द्वारा अभिप्राणित मूल प्रति।







योजना	प्रमुख बिन्दु	आवश्यक अन्य दस्तावेज
मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना	योजना के अन्तर्गत निर्माण कर्मकार श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 30,000 रु. की एकमुश्त सहायता तथा अन्त्येष्टि आदि के खर्च के लिए 8,000 रु. प्रदान किए जाते हैं।	1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
एम्बुलेंस सहायता योजना	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी अथवा उसके परिवार को ऐम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सालय तक जाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 1. इसके अन्तर्गत 10 कि.मी. तक के लिये 300 रु. तथा 10 कि.मी. से अधिक के लिये 10 रु. प्रति कि.मी. की दर से 600 रु. की राशि अथवा वास्तविक व्यय की राशि, दोनों में से जो भी कम होगी मान्य की जायेगी।	1. ऐम्बुलेंस की चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित रसीद 2. वाहन का पंजीयन नम्बर तथा मालिक / चालक का मोबाइल नं. तथा तिथि, समय एवं यात्रा का विवरण आदि।
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना	योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण संबंधित अन्य सामग्री इत्यादि की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जाती है। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उन पर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। 2. प्रशिक्षण में स्वयं श्रमिक के भाग लेने की स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि की मजदूरी (जो उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है) की पूर्ति भी बोर्ड के द्वारा की जायेगी।	1. आवेदन के साथ प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमाण पत्र की छाया प्रति। 2. प्रशिक्षण देने वाली संस्था द्वारा किया गया खर्च का प्रमाण पत्र। 3. आवेदक अथवा उसकी पत्नी/पुत्र/पुत्री ने किन तिथियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
गंभीर बीमारी सहायता योजना	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक अथवा उसकी पत्नी, आश्रित अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों को गंभीर बीमारी के लिये इलाज के उपरान्त खर्च की पूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है। 1. गंभीर बीमारी जैसे— हृदय का ऑपरेशन, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क का ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, एच.आई.वी./एड्स की बीमारी आदि के लिये योजना का लाभ लिया जा सकता है। 2. शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत/उत्तर प्रदेश सरकार के किसी निजी अस्पताल में इलाज प्राप्त किया जा सकता है।	1. निर्धारित प्रारूप 1 पर आवेदन पत्र। 2. प्रारूप 2 पर सक्षम मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। 3. अस्पताल द्वारा प्रमाणित दवाओं पर खर्च के बिल/वाऊचर। 3. प्रारूप 3 पर लाभार्थी का विवरण।



योजना	प्रमुख बिन्दु	आवश्यक अन्य दस्तावेज
पुत्री विवाह अनुदान योजना	<p>योजना के अन्तर्गत श्रमिक की एक पुत्री की शादी के लिये 20,000 रु. की राशि बोर्ड द्वारा प्रदान की जायेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रमिक का बोर्ड में कम से कम 5 वर्षों तक पंजीकृत होना अनिवार्य है और 5 साल तक उसका नियमित अंशदान जमा होना चाहिए। पुत्री की उम्र कम से कम 18 और पुत्र की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। यदि श्रमिक की दो पुत्रियां हैं तो दोनों की शादी के लिये योजना का लाभ दिया जायेगा। 	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी की पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ग्राम प्रधान/सभासद/पार्षद/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित विवाह का कार्ड यदि पुत्री गोद ली हुई है तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र। पुत्री तथा वर की आयु का प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल की टी.सी. के आधार पर)। लाभार्थी श्रमिक के परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
बालिका आर्शीवाद योजना	<p>योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म के समय 18 वर्ष की अवधि के लिये 20,000 रु. की राशि बोर्ड द्वारा दी जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष तक बोर्ड का सदस्य होना अनिवार्य है और उसके द्वारा नियमित अंशदान भी जमा होना चाहिए। बालिका के 18 वर्ष की उम्र का होने से पहले इसका भुगतान नहीं किया जा सकेगा। 	<ol style="list-style-type: none"> बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिया गया आंगनवाड़ी केन्द्र का प्रमाण पत्र। पुत्री यदि गोद ली हुई है तो उसके प्रमाणित अभिलेख। परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति। यह प्रमाण पत्र कि बालिका भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की समान उद्देश्य वाली किसी योजना का लाभ नहीं ले रही है।
अक्षमता पेंशन योजना	<p>योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण अक्षम घोषित होने की तिथि से पूरे जीवन भर बोर्ड द्वारा 500 रु. प्रति माह की धनराशि बतौर पेंशन दी जायेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो। पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत से अधिक हो। 	<ol style="list-style-type: none"> आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जीवित होने का प्रमाण पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को 20 अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा।



योजना	प्रमुख बिन्दु	आवश्यक अन्य दस्तावेज
औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना	<p>योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को औजार खरीदने के लिये बोर्ड की तरफ से 5000 रु. की अधिकतम धनराशि प्रदान की जाती है।</p> <p>1. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के रूप में नियमित रूप से अंशदान जमा करता हो।</p>	1. निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में आवेदन पत्र।
सौर ऊर्जा सहायता योजना	<p>योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को सोलर लाइट प्रदान करने हेतु नेडा, उ० प्र० को बोर्ड द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।</p> <p>1. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के रूप में नियमित रूप से अंशदान जमा करता हो।</p> <p>2. यदि किसी अन्य योजना से सोलर लाइट/लालटेन का लाभ ले रहे हैं तो इस योजना के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।</p> <p>3. एक परिवार में लाभार्थी पति—पत्नी, आश्रित माता—पिता, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।</p>	<p>1. निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में आवेदन पत्र।</p> <p>2. परिवार का विवरण।</p>
आवास सहायता योजना	<p>योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को या उसके परिवार को अपनी जमीन पर आवास बनाने हेतु 45,000 रु. की धनराशि दो किश्तों में दी जायेगी।</p> <p>1. वित्तीय वर्ष में पंजीकृत सभी लाभार्थी श्रमिक पात्र होंगे एवं उनके द्वारा नियमित अंशदान जमा किया गया होना चाहिए।</p> <p>2. लाभार्थी के पास अथवा परिवार के नाम पर कम से कम 20 वर्गमीटर की भूमि उपलब्ध होनी चाहिये।</p>	<p>1. निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति।</p> <p>2. जमीन के मालिकाना दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ।</p> <p>3. लाभार्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिलने का शपथ पत्र।</p>





Department of Labour
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

Supported by

unicef 
unite for children